मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रांची,दिनांक: 11/08/2023

मुख्यमंत्री सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति --384/2023
11 अगस्त 2023
झारखण्ड मंत्रालय, रांची
==========

◆ मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों को किया सम्मानित
==========

◆ राज्य सरकार की छात्रवृत्ति पर अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 5, पिछड़ा वर्ग के 7 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 विद्यार्थियों का अब विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना होगा साकार
==========

◆ _मुख्यमंत्री ने समारोह में सीएम फैलोशिप प्रोग्राम जल्द शुरू करने की घोषणा की , इस योजना के तहत दुनिया के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी समेत अन्य कोर्स के लिए स्कॉलर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
==========

◆ मुख्यमंत्री ने कहा- आर्थिक अभाव की वजह से कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित ना रहे, यह सरकार का है संकल्प
==========

◆ मुख्यमंत्री बोले -बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का खर्च वहन कर रही सरकार
==========

- **आप शिक्षित होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर पढ़ेगी**

- **झारखंड के प्रतिभावान बच्चों को हुनर दिखाने का मिलेगा पूरा मौका**

- **आप बेहतर मुकाम हासिल करेंगे तो झारखंड का नाम भी रोशन होगा**

श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड

अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर पढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में नई शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत कड़ी से कड़ी जोड़कर व्यवस्था को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के प्रति लगाव और उत्सुकता बनी रहे, इसके लिए कई योजनाएं शुरू की है। ताकि, आर्थिक अभाव की वजह से कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम फैलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में झारखंड के स्कॉलर्स को एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की मुहिम जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों- मूल वासियों में हुनर की कोई कमी नहीं है। लेकिन, उचित प्लेटफार्म नहीं मिलने से इनकी प्रतिभा गुम हो जाती थी। जब हमारी सरकार बनी तो हमने इसकी वजहों को जानने का प्रयास किया। इस क्रम में पता चला कि यहां की शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह है , जो कभी भी धारासायी हो सकती है। यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन, हमने इसे स्वीकार किया। शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म का सिलसिला शुरू किया। पहले चरण में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। मॉडल स्कूल बनाये जा रहे हैं। स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका नतीजा कि आज सरकारी विद्यालयों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है।

बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी सरकार ने ले रखी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही है। हमारा प्रयास है कि बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनके पठन-पाठन का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। आज बच्चों की प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का खर्च सरकार दे रही है। इतना ही नहीं, यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी और इंजीनियरिंग मेडिकल और लॉ जैसे कोर्सेज करने का खर्च सरकार दे रही है। बच्चों से
कहना है कि वे पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करें ।उनके मुकाम हासिल होने से झारखंड भी गौरवान्वित महसूस करेगा।

प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा

प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बने, इसका सरकार ने संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चाहे झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई अथवा आईसीएसई बोर्ड। इसके टॉपर्स को नगद राशि के साथ लैपटॉप सरकार दे रही है। इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है । हमारी बच्चियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए सावित्रीबाई फुले सावित्री योजना चलाई जा रही है।

हर क्षेत्र को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत अचरज की बात है कि देश का 42 प्रतिशत खनिज संसाधन झारखंड में उपलब्ध है । लेकिन, फिर भी यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इतना ही नहीं प्रकृति ने झारखंड को धरा के अंदर और बाहर से सजाया- संवारा है। फिर भी यहां के लोग गरीब और पिछड़े हैं । आखिर ऐसा क्यों ? दरअसल झारखंड को शुरू से ही उपेक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा , जिसका परिणाम यहां के आदिवासी और मूलवासी को भुगतना पड़ रहा है।लेकिन, हमारी सरकार इससे निपटने की पूरी रणनीति तैयार कर आगे बढ़ रही है। उन चीजों को चिन्हित किया जा रहा है, जिस वजह से झारखंड आगे नहीं बढ़ सका। शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है । हमें पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब झारखंड की पहचान एक विशेष राज्य के रूप में पूरे देश - दुनिया में होगी ।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य तेजी से कर रहा विकास

ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में ऐसे कई कार्य हो रहे हैं , जो झारखंड को मजबूती प्रदान कर रहा है । यहां

जाने का प्रयास जारी है। वहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि समाज और राज्य के आगे बढ़ने की बुनियाद है- शिक्षा। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहां के गरीब विद्यार्थी भी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है । मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर सभी प्रमंडल मुख्यालयों में भी एक विद्यालय खोले जाने की तैयारी चल रही है।

अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार पूरा सहयोग करेगी

मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह ने कहा कि मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना कोई एक योजना मात्र नहीं है। यह इतिहास बनाने का एक मौका है। क्योंकि, जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उन्हीं की धरती पर जाकर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने जा रहे हैं। यह सब मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सोच का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के साथ विद्यार्थियों को कोई शर्त नहीं रखी गई है। आप कहीं भी अपना कार्य करें। आप अगर अच्छा करेंगे तो उसी में झारखंड का भी नाम रोशन होगा। वहीं, आप इस राज्य की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते हैं। कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी।

आप बेस्ट हैं, अपने पर भरोसा रखें

श्रीमती सुप्रिया चावला, हेड चेवनिंग स्कॉलरशिप, दिल्ली, ब्रिटिश हाई कमीशन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में हमारी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है।उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप बेस्ट हैं । अपने पर विश्वास रखें । आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। आप खुद में बदलाव लाए और दूसरों को में भी बदलाव लाने का कार्य करें। समारोह में श्रीमती अजिता मेनन, डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन, कोलकाता भी शामिल हुईं।

इन विद्यार्थियों का हुआ है चयन

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत तीसरे बैच (सत्र 2023-24) के लिए अनुसूचित जनजाति के 10 अनुसूचित जाति के पांच, ओबीसी के सात और अब

अल्पसंख्यक वर्ग के तीन विद्यार्थियों का चयन विदेशों के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 31 कोर्सेज के लिए हुआ है।

अनुसूचित जनजाति: कमल शाश्वत, ज्योति वंदना लकड़ा, आयुष स्टीफन टोप्पो, मेरी स्मृति कुजूर, मांगू पूर्ति, प्रफुल्ल किरण केरकेट्टा, जे. नीतू सोरेन, हर्कुलस सिंह मुंडा, मधुमिता मुंडा और स्तुति होरो।

अनुसूचित जनजाति: निर्भय प्रकाश, श्रवण कुमार, ओमप्रकाश कुमार, निधि बाघवर और अक्षय कुमार।

पिछड़ा वर्ग : अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, सूरज कुमार मोदी, प्रेरित राज, जीशान आलम, कुमार प्रीतम पुरी और मल्लिका महतो।

अल्पसंख्यक : हसन अल बन्ना, मोहम्मद जीशान अहमद और फैजान अली।

2021 में इस योजना की हुई थी शुरुआत

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना के तहत 25 प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इनमें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 10 और अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 15 छात्र-छात्राओं का चयन इस वर्ष इस योजना के लिए हुआ है। सभी चयनित विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंग्डम और नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृति मिलेगी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि है कि चयनित विद्यार्थियों के पढ़ाई का शुल्क के साथ साथ रहने-खाने और अन्य जरूरतों का खर्च भी राज्य सरकार वहन करती है। ज्ञात हो कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी।

इस अवसर पर मंत्री श्री आलमगीर आलम, श्री चम्पाई सोरेन और श्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

==========

#Team PRD(CMO)

2724
28/12/2020

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः–झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स (Course) में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स (Masters)/(M.Phil) हेतु छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

1. यह योजना मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 कहलाएगी।
2. राज्य बनने के बाद भी झारखण्डवासियों को अपनी प्रतिभा निखारने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं। इसका मुख्य कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सीमित अवसर का होना है। ऐसे में झारखण्ड के युवाओं को झारखण्ड एवं देश के निर्माण में भूमिका के अवसर प्रदान करने हेतु मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 संचालित की जायेगी। इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स (Masters)/(M.Phil) Full Degree Program ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
3. इस योजना का विस्तार केवल निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों एवं विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित होगा। वर्त्तमान में योजना को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) में अवस्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए प्रारम्भ किया जायेगा। भविष्य में अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा एवं अन्य देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्थानों हेतु भी इसे विस्तारित किया जा सकेगा।
4. इस योजना अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) के निम्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता का लाभ दिया जायेगाः–
    - University of Oxford
    - University of Cambridge
    - Imperial College London
    - University College London
    - London School of Economics and Political Science

- University of Edinburg
- King's College London
- SOAS University of London
- University of Manchester
- University of Bristol
- University of Warwick
- University of Reading
- University of Sussex
- Bournemouth University
- Loughborough University

5. योजना अन्तर्गत निम्न विषयों में छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगीः–

क्रं०सं०	विषय
1	Anthropology/Sociology
2	Agriculture
3	Arts and Culture
4	Climate Change
5	Development Studies & Allied such as Governance & Development, etc
6	Economics
7	Education
8	Environmental Science/Studies
9	Forest Conservation & Ecology
10	Global Peace, Security and Governance
11	International Relations/Political Science
12	Law & Human Rights
13	Media & Communication
14	Public Administration
15	Public Health
16	Public Policy
17	Science and Innovation
18	Sports Medicine, Sports Management and Allied
19	Tourism & Hospitality
20	Sustainable Development
21	Urban and Regional Planning
22	Women's Studies/Gender Studies

6. इस योजना अन्तर्गत निर्धारित छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम/शोध के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Masters)/(M-Phil) – 1/2 वर्ष (एक/दो वर्ष) के लिए प्रदान की जाएगी।

7. **छात्रवृत्ति के लिए पात्रताः–**

a. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

(i) **स्नातकोत्तर (Masters)/(M.Phil) डिग्री के लिए**– स्नातक की डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।

(ii) **अनुभव** – 2 वर्ष– संबंधित विषय में शिक्षण कार्य/प्रोफेशनल कार्य वांछनीय है। वैसे आवेदक जिनके पास अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

b. विदेश से मास्टर (Masters)/(M.Phil) की डिग्री प्राप्त करने वाले आवेदक पुनः उसी स्तर के पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

c. **आयु सीमाः**– इस योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले छात्र–छात्राओं की उम्र प्रासांगिक वर्ष की 1 अप्रैल को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

d. **स्थानीयताः**– आवेदक को झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए और इसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

e. **अनुसूचित जनजाति का अनुमान्य साक्ष्यः**– आवेदन के साथ आवेदक द्वारा आवेदक के आवास क्षेत्र के संबंधित सक्षम पदाधिकारी निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

f. **आय सीमाः**– इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक, आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की सम्पूर्ण पारिवारिक आय रू० 12,00,000/– (बारह लाख रुपए) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आयकर रिटर्न समर्पित न करने की स्थिति में आवेदक द्वारा पोर्टल में स्व–सत्यापन (Self-Declaration) करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा सम्बंधित उपायुक्त को आवेदक द्वारा दिए स्व–सत्यापन (Self-Declaration) का Verification हेतु प्रेषित किया जाएगा, जिसे उपायुक्त द्वारा आवेदक के माता–पिता या अभिभावक, जैसा भी लागू हो, के समस्त श्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय की जांच कर आय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन विभाग को अधिकतम 10 दिन में भेजना अनिवार्य होगा।

g. एक ही माता–पिता/अभिभावकों के एक से अधिक बच्चे योजना के पात्र नहीं होंगे।

h. इस योजना का लाभ किसी भी छात्र/छात्रा को किसी भी पाठ्यक्रम विशेष के लिए मात्र एक ही बार देय होगा।

i. इस योजना अंतर्गत भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे आच्छादित नहीं किये जायेंगे।

8. **छात्रवृत्ति का मूल्यः–**

(i) **शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)**:– वास्तविक शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(ii) **वार्षिक अनुरक्षण भत्ता** (Annual Maintenance Allowance)– इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण भत्ता योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए पाउंड स्टर्लिंग 10,000/– (केवल दस हजार पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) देय होगा।

(iii) **वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता (Annual Contingency and Equipment Allowance)**:– पुस्तकों/आवश्यक उपकरण/अध्ययन दौरे/टाइपिंग और थीसिस के बंधन आदि के लिए वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में छात्र/छात्राओं के लिए पाउंड स्टर्लिंग 1,200/– (केवल एक हजार दो सौ सोलह पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) देय होगा।

(iv) **वीजा शुल्क (Visa Fees)**:–वीजा शुल्क हेतु वास्तविक राशि का भुगतान भारतीय रुपए में किया जायेगा।

(v) **हवाई यात्रा खर्च (Cost of Air Passage)**:– भारत से अध्ययन स्थल के निकटतम स्थान तक वायु मार्ग से जाने एवं पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त वापस आने हेतु Economy Class के वास्तविक व्यय के अनुरूप राशि का भुगतान किया जायेगा।

(vi) **स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम (Medical Insurance Premium)**:– स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।

(vii) **यात्रा खर्च (Journey Expenses)**:– भारत से अध्ययन स्थल हेतु जाने और अध्ययन समाप्ति के उपरान्त वापस आने के लिए कुल पाउंड स्टर्लिंग 200 (केवल दो सौ पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) की राशि यात्रा दौरान खर्च के रूप में दी जाएगी।

(viii) **स्थानीय यात्रा (Local Travel)**:– आवश्यकता अनुसार अध्ययन हेतु स्थानीय यात्रा करने के लिए रेलवे के AC-II Tier अथवा Bus/AC Bus/Taxi से यात्रा करने पर वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।

9. **योजना का क्रियान्वयनः**– झारखण्ड सरकार, भारत सरकार के सक्षम मंत्रालय से नीतिगत सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही योजना का क्रियान्वयन करेगी।

10. **छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रियाः**–

(i) शिक्षण शुल्क से संबंधित राशि का भुगतान सम्बंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को सीधे रूप से भुगतान किया जाएगा। भुगतान हेतु भारत सरकार से झारखण्ड सरकार नीतिगत सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(ii) शिक्षण शुल्क को छोड़ कर छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य सभी राशि यथा वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता, वीजा शुल्क, हवाई यात्रा खर्च, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, यात्रा खर्च, स्थानीय यात्रा आदि चयनित छात्र/छात्रा के AD category II बैंक में खोले गए बैंक खाता में DBT के माध्यम से भुगतेय होगा।

11. **गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने परः**– यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना अथवा प्रमाण–पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने की बात प्रमाणित होती है तो ऐसे आवेदक को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा और यदि उसने लाभ उठा लिया है तो ऐसे आवेदक से 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि की वसूली की जायेगी।

12. **बन्ध पत्र (Bond)**:– छात्रवृत्ति आवेदन के साथ आवेदक को निम्न बन्ध पत्र (Bond) देना होगा कि यदि विदेश में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के मान्य नियमों के शर्तों का उल्लंघन करता है और संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा इसकी सूचना संबंधित भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराई जाती है अथवा आवेदक द्वारा अध्ययन की निर्धारित अवधि के मध्य ही अध्ययन छोड़ दिया जाता है **अथवा** अध्ययन छोड़कर वापस बिना सूचना के भारत आ जाता है अथवा किसी अन्य संकाय या विषय में प्रवेश ले लिया जाता है **अथवा** आवेदक संबंधित देश के नियमों का उल्लंघन करता है **अथवा** अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे Defaulter घोषित किया जायेगा तथा उसकी छात्रवृत्ति निरस्त करते हुए सम्पूर्ण राशि की वसूली 12% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से छः माह के अंदर वसूल की जायेगी।

13. **आवेदकों का प्राथमिकीकरणः**– इस योजनान्तर्गत सर्वप्रथम प्राथमिकता उन छात्र/छात्राओं को दी जायेगी जिन्हें योजना अन्तर्गत चिन्हित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नामांकन हेतु आमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका हो। IELTS/GRE/TOEFL आदि परीक्षाओं में सफल छात्र/छात्राओं को द्वितीय प्राथमिकता दी जायेगी।

14. **आवेदकों का चयनः**– इस योजना अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले आवेदकों का चयन निम्न प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगाः–

- प्रत्येक वर्ष इस हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विभाग द्वारा संधारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को समय–समय पर उनके आवेदन का प्रगति अद्यतन (Progress Update) भी दिया जाएगा।
- प्राप्त आवेदनों की जाँच हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के समक्ष सभी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(i) योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी – सदस्य।

(ii) उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग, संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी – सदस्य।

(iii) आवेदनों के अनुरूप सम्बंधित विषय विशेषज्ञ – सदस्य।

- समिति द्वारा चयनित आवेदको के आवेदनों की जांच करते हुए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स (Shortlisted Candidates) को आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विषय आधारित प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। विषय आधारित प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा, जिस पर विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर 10 (दस) सुयोग्य अभ्यर्थियों एवं 05 (पाँच) प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों (कुल 15) का चयन किया जाएगा।

15. **अन्य अनिवार्य शर्तें** :–

(i) अंतिम रूप से चयनित छात्र/छात्रा को चयन की तिथि से 02 (दो) निरंतर शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) के भीतर विदेश में योजना अन्तर्गत चिन्हित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित 02 (दो) निरंतर शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(ii) चयनित छात्रध्छात्रा द्वारा नोटरी पब्लिक के समक्ष, 02 (दो) जमानतदारों के समक्ष रू० 1,000 (एक हजार रुपए) के Non-Judicial Stamp में Clause 12 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बंध पत्र (Bond) निष्पादित किया जायेगा। बंध पत्र (Bond) का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(iii) संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि तक रूकने की अनुमान्यता नहीं होगी।

(iv) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अध्ययन की अवधि में छात्र/छात्रा अपने अध्ययन क्षेत्र/विषय को परिवर्तित (Change) नहीं कर सकेंगे।

(v) चयनित आवेदक को राज्य सरकार के साथ रिकॉर्ड रिलीज कंसेंट फॉर्म (Record Release Consent Form) हस्ताक्षरित करने हेतु एक और बंध पत्र देना होगा। इस बंध पत्र का प्रारूप राज्य सरकार के द्वारा तय किया जायेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा चयनित आवेदक को वीजा प्राप्त करने हेतु वीजा शुल्क छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जायेगी। चयनित आवेदक को स्वयं ही विदेश में अध्ययन हेतु वीजा प्राप्त करना होगा।

16. इस योजना पर कुल अनुमानित व्यय प्रति वर्ष रू० 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपए) होगा जिसका बजट उपबंध उचित शीर्ष खोलते हुए उसके अन्तर्गत विकलनीय होगा।

17. न्यायालय परिक्षेत्रः– किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र राँची होगा।

18. विभागीय संलेख ज्ञापांक–2636, दिनांक–21.12.2020 के क्रम में दिनांक–23.12.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–56 में इस पर स्वीकृति दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

28/12/20

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03/छात्रवृत्ति(पारदेशीय छात्रवृत्ति)–03/2020 2724 राँची, दिनांकः– 28/12/2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2020

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03/छात्रवृत्ति(पारदेशीय छात्रवृत्ति)–03/2020 2724 राँची, दिनांकः– 28/12/2020

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

28/12/2020.

सरकार के सचिव।